

23/12/19 पत्रावली पेश हुई / वकील शर्मा एवं  
 स्वपं शर्मा अनुपरिभार/प्रकरण में  
 वकील शर्मा एवं स्वपं शर्मा को कई  
 बार रुक-रुक कर आवाज लगावा  
 गई किन्तु वकील शर्मा एवं स्वपं शर्मा  
 के उपस्थित नहीं होने से शर्मा (क)  
 शर्मा नाम अधम हाजरी। अदम परकी  
 में शर्मा के किया है तथा प्रकरण में  
 पूर्व में जारी समागत भी प्रपत्र के निरस्त  
 होने से स्वतः निरस्त होकर शून्य  
 प्रभावी माना जावे। पत्रावली पर  
 शुमार होकर दर्ज नंबर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी पंजन  
 सहायक क्लर्क करेडा